प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के निबंधनों के अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 से 2019-20 की अवधि को आवृत्त करते हुए '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।